कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलंवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर— 342001 म्उंपस. रकंरवकीचनत / तीयवण्बयु वेब-साईट रवकीचनतरकण्वतह चैवदम छवण 0291.2612086ध्265635.7 थ्य 021.2612086

क्रमांक:-बैटक / 2018 / 353

दिनांक:- \- 5- 2018

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को प्रातः 11 बजे श्री प्रो. (डॉ.) महेन्द्रसिंह राठौड़ माननीय अध्यक्ष महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2018 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2018 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 22 फरवरी,2018 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की गत बैठक 22 फरवरी, 2018 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 ::—जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का बजट वर्ष 2018—19 अनुमोदन बाबत्।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित बैठक दिनांक 19.04.'2018 में

प्रस्तुत करने के लिए एजेंडा आइटम निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम सख्याक 2) के अध्याय 9 की धारा 59(1) के अनुसरण में पचलित प्रारूप में प्राप्तियों एवं संवितरणों के अनुमान वित्तीय वर्श 2018—19 के बजट के स्वरूप में मय वित्तीय वर्श 2017—18 के वास्तविक आय व्यय के अंक जिनका विस्तृत विवरण संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत है, एतद द्वारा आयुक्त महोदय के अवलोकन एवं तत्प चात उनके द्वारा सुझाये गये उपान्तरणों के समावे । प चात इसको प्राधिकरण के समक्ष रखने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत है। प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है :— (रू

क्र.स.	विवरण	आय व्ययक के अनुमान 2017—18	वास्तविक अंक 2017—18	आय व्ययक अनुमान
1	कुल प्राप्तियाँ	120000.00	25514.96	2018—19
2	कुल संवितरण			102200.00
	311 11141111	120000.00	15713.00	102200.00

संलग्न :- बजट प्रारूप पेज 1-87 जोधपुर विकास प्राधिकरण का बजट वर्ष 2018-19 निदेशक-वित द्वारा तैयार किया गया है। जो प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

20/4 Jun-10

1

निर्णय

जोधपुर विकास प्राधिकरण का बजट 2018—19 प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बजट के संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 59 (1) व 59 (2) में निम्नानुसार प्रावधान है :--

59 (1)— प्राधिकरण का वित्त निदेशक ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जो विनियमों द्वारा अवधारित किया जावे, प्राधिकरण की प्राप्तियां और संवितरणों के अनुमान जोधपुर विकास आयुक्त को दिखाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रति वर्ष बजट तैयार करेगा जो ऐसे उपान्तरण करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे प्राधिकरण से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

59 (2) जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बजट की प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण के समक्ष वर्ष 2018—19 का बजट अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ। जिसको बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 ::— Agenda For approval and relaxation for eligibility criteria for PPP Project named as Raj Mata Vijya Raje Scindiya (Community) International Convention and Habitat Centre with all related facilities supported by World Class Infrastructure at Vivek Vihar Yojna Johpur, Rajasthan.

JDA Jodhpur has taken up the long awaiting prestigious project named as Raj Mata Vijya Raje Scindiya International Convention and Habitat Centre (Community) with all related facilities supported by World Class Infrastructure at Vivek Vihar Yojna Johpur, Rajasthan on PPP basis. JDA Jodhpur appointed M/s Jag Pvt Ltd Ahmedabad as a consultant for preparation of DPR. Consultant submitted DPR amounting to Rs. 348.80 Crore with concession period of 60 years. JDA Jodhpur got vetted DPR prepared by consultant from MNIT Jaipur. As per the provisions of the rule PPP Project costing less than 500 Crores need approval of Administrative Department. Therefore this project was submitted to UDH GOR Jaipur for approval.

As per PPP guidelines there are following financial eligibility criteria which need to be decided by Authority in order to have adequate participation and fair competition in bidding process:-

1 Coly during

S. No.	Eligibili ty Criteri a	Standard Financial Eligibility Criteria as per PPP Guidelines	Standard Financial Eligibility criteria adopted by RIICO for Construction of Exhibition cum Convention Centre, at Sitapura, Jaipur on PPP mode Estimated Project Cost Rs. 216.65 Crores (including MDO but excluding Optional facility like 4star hotel	Proposed Financial Eligibility criteria for PPP Project named as Raj Mata Vijya Raje Scindiya International Convention and Habitat Centre (Community) at Vivek Vihar Yojna, Jodhpur Estimated Project Cost Rs. 348.80 Crores (Including MDO and optional facility)
1	Average Annual Turnove r in last three years	For roads & other Infrastructure projects shall be equal to project cost and for other then Infrastructure projects this can be decided by the Authority.	Average Annual Turnover of Rs. 75.00 Crores in any 3 past consecutive Financial years as per Audited Balance Sheet.	As per the Standard financial eligibility criteria, required Average Annual Turnover is Rs. 348.80 Crores (equal to Project Cost). In order to have fair competition and adequate number of bidders, Average Annual Turnover is proposed Rs. 75.00 Crores as adopted by RIICO for construction of Exhibition cum Convention Centre at Sitapura, Jaipur on PPP mode.
2	Net Worth (Profit making Compan y)	For roads & other Infrastructure projects shall be equal to 25% project cost and for other then Infrastructure projects this can be decided by the Authority.	Minimum Net-Worth of Rs. 50.00 Crores as per the Audited Balance Sheet.	As per the Standard financial eligibility criteria, required minimum Net-Worth is Rs. 87.20 Crores (Equal to 25% of Project Cost). In order to have fair competition and adequate number of bidders, minimum Net-Worth is proposed Rs. 50.00 Crores as adopted by RIICO for construction of Exhibition cum Convention Centre at Sitapura, Jaipur on PPP mode.

Existing financial eligibility criteria and proposed financial eligibility criteria are submitted before the Authority meeting of Jodhpur Development Authority for perusal and accordingly approval.

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 4

::-Agenda for approval of the Price Escalation Bill for the work of 'Remaining work of Construction of Road & Nallah from Bhadwasiya Railway Crossing to Jaipur Road via Mata ka Than, Jodhpur (Risk & Cost)' (Agreement No. F38(6)/2011-12 dated 16.06.2011, M/s ChhagniRam Gehlot)

With reference to above cited subject, A&F sanction amounting to Rs. 12.50 Cr for the work of 'Remaining work of Construction of Road & Nallah from Bhadwasiya Railway Crossing to Jajpur Road via Mata ka Than, Jodhpur (Risk &

3

Cost)' was granted vide proposal no. 3-1(A) of EC meeting dated 29.03.2011. After completion of tendering process, the work was awarded to M/s Chhagniram Gehlot, Jodhpur vide agreement no. f38(06)/2011-12 for contract amount of Rs. 8,24,89,579.00/- . The expenditure incurred on complete construction work is Rs. 7,06,38,464/- The important dates of tendering process and work order are as under:-

S. No.	Event	Date		
1	Date & Time of Receipt of Technical and Financial BIDS	21.04.2011 upto 3.30 P.M.		
2	Date & Time of Opening of Financial BID	27.04.2011 at 4.30 P.M.		
3	Date of Negotiation	16.06.2011		
4	Date of Start of Work as per Work Order	27.06.2011		
5	Stipulated date of completion as per Work Order	26.06.2012		
6	Actual date of completion	12.06.2013		

The time extension case as prepared by the then Executive Engineer & approved by the then Director Engineering on dated 22.09.2013 and subsequently this time extension have been approved by the tender approving committee comprising of Director Engineering, Director Finance, Secretary, and the Commissioner JDA Jodhpur on dated 21.03.2018. As per the discussion held in meeting dated 21.03.2018, the tender approving committee has recommended to put before the Price escalation case of the above mentioned work in Authority meeting of JDA as per S. No. 57 of SOP of JDA.

As per the clause 45 of Section 3 General Conditions of Contract and Section-4 Contract Data there is provision of price variation. Price variation amount shall be calculated based on the difference between the index of material and labour at the time of opening of Financial BID/ negotiation and respective increase/ decrease index as the case may be during execution of the work. The break-up of components of cement/ steel/ labour/ material(excluding the materials to be supplied by the Department) /bitumen/diesel and petrol as indicated in clause 45 of Contract Data are as under:-

S. No.	Component	Down
1	Labour	Percentage
2	Bitumen	30%
3		27%
1	Diesel and Petrol	5%
4	Steel	2%
5	Cement	
6	Material	10%
ocnosti.	Average Consumer D.: 1	26%

Respective Average Consumer Price Index for industrial workers are based on Reserve Bank of India Journal/ Labour Bureau Shimla for the area. In the case of Jodhpur, these Price Indexes are taken for Ajmer region.

Jef 28/4 dir.4.10

4

The Average Wholesale Price index for material like Cement, Steel, other commodity, Diesel and Petrol are based on Price Index published by The Economic Advisor to the Government of India, Minsitry of Industries.

The average Wholesale Price Index in case of Bitumen are based on official retail price of bitumen at the IOC depot at nearest centre on day 28 days prior to date of opening of Bid and official retail price of bitumen at the IOC depot at nearest centre on 15 days of the month under consideration. Nearest IOC Depot for Jodhpur is Koyali (Gujarat).

Price variation for item other than Bitumen is calculated based on average price index of quarter under calendar consideration whereas in case of Bitumen it is based on 15 days of month under consideration.

Price escalation bill of the above mentioned work, as per the provisions of clause 45 of agreement have been prepared amounting to Rs. 44,23,765.64/- The matter is submitted for perusal, and accordingly approval for Price Escalation bill of the work of 'Remaining work of Construction of Road & Nallah from Bhadwasiya Railway Crossing to Jaipur Road via Mata ka Than, Jodhpur (Risk & Cost)' amounting to Rs. 44,23,765.64/- before the Authority meeting of Jodhpur Development Authority.

निर्णय

Above matter is discussed and entire case was apprised by Executive Engineer-ROB JDA Jodhpur to all learned members of Authority. It was apprised that originally the work order for 'Construction of Road & Nallah from Bhadwasiya Railway Crossing to Jaipur Road via Mata Ka Than, Jodhpur' was awarded to M/s M.M. Jain & Sons, Jodhpur vide agreement no. F38(23)/2010-11, dated 10.06.2010 with work order amount of Rs. 5,66,83,758/- Due to delay/ non execution of work by M/s MM Jain this work was withdrawn from M/s M. M. Jain & Sons under the clause no. 2 & 3 (Risk & Cost) of the agreement. After withdrawn of the work, JDA Jodhpur invited fresh tenders for the 'Remaining work of Construction of Road & Nallah from Bhadwasiya Railway Crossing to Jaipur Road via Mata ka Than, Jodhpur (Risk & Cost)' and work order was awarded to M/s M/s Chhagniram Gehlot, Jodhpur vide agreement no. f38(06)/2011-12 for contract amount of Rs. 8,24,89,579.00/-.

M/s Chhagniram Gehlot was supposed to execute this work in 365 days as per work order. But due to non removal of hindrances like removal of encroachments/land acquisition/ utility shifting, this work was delayed by 351 days beyond stipulated date of completion as mentioned in the work order. As per the provisions of SOP of JDA Jodhpur, the Time extension case of M/s Chhagniram Gehlot without compensation was approved by tender approval committee on dated 21.03.2018.

All the members of the Authority was of opinion for critical examination regarding payment done by JDA Jodhpur to M/s Chhagniram Gehlot against the work executed

JE 25/4 25/4


by him and its recovery from M/s M.M. Jain & Sons (Original Contractor) as the work was awarded on Risk & Cost clause of the agreement. It was also apprized by the Executive Engineer that M/s M.M. Jain & Sons has moved for arbitration case against JDA Jodhpur for execution of work by another contractor under Risk & Cost clause of the agreement. Hon'ble High Court has appointed Sh. Rajesh Chandra Purohit (Retd Addl. Chief Engineer PWD) as a Arbitrator. JDA Jodhpur has submitted reply to claim, rejoinder and counter claim. For submission of Financial facts as desired by Committee members and critical examination regarding mode of recovery from M/s M.M. Jain & Sons, the matter is hereby deferred for next meeting with the direction to hold the amount of M/s M.M. Jain & Sons available in different zones of JDA Jodhpur in the form of Running Bills/ Final Bills/ Security Deposit/ Bank Guarantee/ Fix Deposits till the decision of arbitration case under process with Arbitrator Sh. Rajesh Chandra Purohit.

It is brought in to notice that as per the circular of PWD Rajasthan, Jaipur vide no. 235 dated 15.06.2016 price escalation bill should be prepared prior to payment of Final Bill. As per clause no. 7(a) of contract agreement Final bill shall be paid within 3 months on presentation after issuance of final certificate. M/s Chhagniram Gehlot completed work on dated 12.06.2013. M/s Chhagniram Gehlot didn't submit any final bill/running bill. After non submission of final bill by the contractor JDA Jodhpur prepared its final bill on dated 24.09.2013 and its final payment was released to the contractor on dated 21.10.2013.

M/s Chhagniram Gehlot submitted First & Final Price Escalation bill amounting to Rs. 66.68 Lacs vide his letter dated 10.01.2014 (Received on 12.03.2014) without support of documents related to Books of Accounts. JDA Jodhpur vide letter dated 15.12.2014, directed contractor to submit Books of Accounts and its reminders were issued on dated 21.06.2016, 09.09.2016 & 19.12.2016. M/s Chhagniram Gehlot submitted Books of Accounts vide his letter dated 06.03.2017. So it was decieded unanumously that the case should be rescrutinized in light of new facts and agreement conditions. It should be ascertained whether late submission of price escalation bill amounts to denial of payment as per law or not. In addition to this committee members are of the view that similar action should be taken in all other parillel cases.

प्रस्ताव संख्या 5 ::- Construction of New Building JDA, Jodhpur.

The construction work of New Building of JDA was started up on 09/02/2013 under Work Order No.F38(113)/12-13 amounting to Rs.156421113/- . The original A & F for the same was 925.00 lacs sanctioned in Executive committee meeting held on 22/5/2012. The difference of A&F and Work Order amount was due to an incremented Tender premium. The TS amount of the work was 1157.77 lacs . The stipulated date of start of work was 09/02/2013 & that of completion was 08/02/2015 which has been already elapsed far behind The revised A &F of Rs.2500 lacs was sanctioned in Authority meeting held on





dated 13/8/2013 inclusive of an excess amount of 1075 lacs & extra of 500 lacs .The work of granite flooring ,dado, zeproc plaster, Pavit tiles ,chokhat work & RCC work up to third floor & machine room has been already completed as per G schedule which amounting 1150 lacs approximately .Some of the executed individual items had also been exceeded the limit of 50 % . if further work is executed out of the remaining work most of the items will exceed the limit of 50% which is not allowed as per RTPP rules 2013 and SOP prevalent as on today. In addition the contractor may also raise their Price escalation bill as the completion date has already elapsed . More importantly, if we compare G schedule item with present BSR the TP comes out to be more in comparison with present market trend of rate which is additional financial burden on the entity, it is avoidable at this stage.

It is also pertinent to mention that a meeting held under chairmanship of JDC Sir on dated 28/03/2018 it was resolved that the work will be stopped with immediate effect till further consideration to decide the course of action at competent level.

In view of the conditions mentioned above it is submitted to take stock of the situation to dilute the issue at competent level.

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया चूंकि मूल कार्यादेश राशि से कही अधिक राशि की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं तत्कालीन संवेदक द्वारा जिस दर पर कार्य किया जा रहा है वह चर्तमान ठै ते के अनुसार प्राधिकरण के हित में नहीं है। साथ ही संवेदक द्वारा मूल की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की राशि का कार्य किया जा चुका है। ऐसी परिस्थित में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में नवीन भवन के लिए वर्ष 2013 में जारी कार्यादेश को तत्काल प्रभाव से विड्रोवल किया जावे एवं शेष कार्य के लिए अतिशीघ्र तक्मीना तैयार कर चरणबद्ध नवीन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर नई निविदा आमंत्रित की जावें एवं कार्य को पूर्ण करवाया जाये।

एजेण्डा 6 ::— गत समय में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा विभिन्न सार्वजनिक शमशानों, सामुदायिक भवनों, धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, मस्जिद, मदरसों एवं समाज के न्याति नोहरों, समाज की निजी विद्यालय व समाज के छात्रावास में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों के भुगतान बाबत।

गत समय में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा विभिन्न स्मार्वजनिक शमशानों, सामुदायिक भवनों, धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, मिरजद, मदरसों एवं समाज के न्याति नोहरों, समाज की निजी विद्यालय व समाज के छात्रावास में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों के भुगतान की समय समय पर मांग की जाती रही है। ऐसे मामलों में निम्न अनुसार निर्णय अपेक्षित है (वे प्रकरण जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में विचाराधीन है, किसी भी प्रकार की जांच विचाराधीन हो या कार्य को शिफ्ट करके किया गया हो, मूल स्वीकृति तथा स्वीकृत मानचित्र से भिन्न कार्य करवाया गया हो, को छोडकर):—

1— जिस समाज के लिए इस प्रकार के निर्माण हुए है, उस निर्माणको सर्वप्रथम संबंधित समाज की देवस्थान विभाग / सहकारी विभाग में रजिस्टर्ड संस्था को विधिवत् सुपुर्द किया जावे एवं उसकी प्रति नगर निगम, जोधपुर को भी प्रेषित किया जावे।

J(8) 2

di.4.19

- 2— यदि ऐसे कार्य अपूर्ण है तो यथा संभव उस कार्य को इसी स्तर पर समाप्त कर दिया जावे एवं संबंधित समाज तथा संस्था जिसे वह सुपुर्व किया जाना है, उनसे यह अण्डर टेकिंग ले ली जावे कि वह बचे हुए कार्य को पूर्ण कर लेंगे।
- 3— यदि संबंधित संस्था उक्त कार्य को पूर्ण करवाने में सहमत नहीं है और किये हुए कार्य 80 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुका है और इसे पूर्ण नहीं करवाने पर राशि के निष्फल व्यय होने की संभावना है। तो ऐसी परिस्थिति में उचित निर्णय लेकर शेष कार्य के लिए नई प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर नये टेण्डर आमंत्रित कर करवाया जावे।
- 4— इस प्रकार के कार्यों का भुगतान करने से पूर्व उक्त कार्य की पत्रावली एवं माप पुस्तिका का पूर्ण परीक्षण वर्तमान संबंधित अधिशाषी अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ अभियन्ताओं के द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जावे। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से लेकर निविदा एवं तकनीकी स्वीकृति सिहत संपूर्ण दस्तावेजों का परीक्षण कर यदि कोई अनियमितता पत्रावली में पायी जातीं है तो उसे सर्वप्रथम पत्रावली में प्रकट करके नियमानुसार कार्यवाही करवाकर तद्नुसार सक्षम समिति में अनुशंषा के पश्चात् ही भुगतान किया जावे।
- 5— उपरोक्त पकरण के समस्त कार्यों के भुगतान के लिए अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् निम्नलिखित अधिकारियों की समिति के निर्णय अनुसार भुगतान संबंधी कार्यवाही की जावे। समिति निम्न प्रकार होगी:—
- 1- आयुक्त अध्यक्ष
- 2- निदेशक- अभियांत्रिकी सदस्य सचिव
- 3- निदेशक-वित्त सदस्य
- 4- सचिव सदस्य
- 5- संबंधित अधीक्षण अभियन्ता सदस्य
- 6- श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड, विष्ठ विधि अधिकारी सदस्य
- 7- श्री नैनू राम, मुख्य लेखाधिकारी

निर्णय

बाद विचार विमर्श प्रस्तुत प्रस्ताव को निम्नांकित संसोधनों के साथ सर्वसम्मित से अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया –

- 1. मूल स्वीकृति तथा स्वीकृत मानचित्र से भिन्न कार्य कराया गया हो, को छोड़कर के स्थान पर,,
 - मूल स्वीकृत कार्य से भिन्न कार्य करवाया गया हो को छोड़कर,,
- 2. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 3 में 80 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, को विलोपित किया गया है।

एजेण्डा 7 :-- पालड़ी खिचियान के पैकेज संख्या 1 से 7 में प्राप्त वित्तिय बिड को स्वीकृत करने हेतू की जाने वाली कार्यवाही से पुर्व निविदा की मान्य 70 दिवसीय वैधता अविध पार होने के कारण राज्य सरकार से शिथिलता प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक निर्णय हेतु

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ग्राम पालड़ी खिचियान खसरा संख्या 80 व 93 पर पैकेज संख्या । से VII की EOI (Expression of Interest) दिनांक 26. 12.2016 को NIT 88/2016-17 जारी की गयी। उपरोक्त पैकेज में ऑनलाईन बिड

र्ट्सिंग केर्

डाउनलोड कर निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 06.02.2017 को सांयः 6:00 बजे निर्धारित की गयी थी।

पालड़ी खिचियान में प्रस्तावित योजना में प्रस्तावित आवासों की संख्या, भुभि तथा लागत निम्न लिखित हैं।

S. No.	Proposed Project	Area of land in ACRE "A"	Application of units			Projec
			total unit as per 0.75*A*140 acres	EWS 60%	LIG 40%	t lost Calcul ation (In
1	villagr Paldi Kh	nichiyan				Crore)
	Parcel					
	Package I	35 bigha	1470	882		34.398
		14 acre		002	588	35.28
					Total	69.678
					Say	70
		30.68 bigha	1250	750	July	29.25
	Package II	12.27 acre		750	500	30
					Total	59.25
	Say					
	Package III	25.0 bigha	1050	630	Say	24.57
		10 acre			420	25.2
					Total	49.77
	Say					
	Package IV	35.0 bigha	1470	882	Say	50 34.398
		14 acre			588	35.28
					Total	69.678
	Say					
	Package V	35.0 bigha	1470	882	Say	70 34.398
		14 acre	1170	002	588	35.28
-					Total	69.678
					Say	
	Package VI	35.0 bigha	1470	882	Say	70 34.398
		14 acre	200,0	302	588	35.28
					Total	69.678
	Say					70
	Package VII	40.50 bigha	1700	1020	Say	34.398
		16.2 acre		- 320	680	34.398
					Total	70.398
					Say	70.398
	Total		9880	5928	3952	458.13

उपरोक्त निविदाओं में निर्धारित अवधि तक निम्न दो विकासकर्त्ताओं ने निविदाएं प्रस्तुत की

- 1. इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
- 2. वडेरा ट्रेडलिंक प्रा. लिमिटेड, बाड़मेर।

प्राप्त निविदाओं का तकनीकी आंकलन दिनांक 19.04.2017 को तकनीकी बिंड खोलने व आंकलन सिमिति द्वारा किया गया जिसे साईट पर अपलोड किया गया था। तकनीकी आंकलन में मैसर्स वडेरा ट्रेडिलंक प्रा. लिमिटेड, बाड़मेर को निर्धारित Eligibility Criteria के आधार पर Non-Responsive पाया गया एवं प्राप्त निविदाओं मे से मैसर्स इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली की वित्तीय बिंड खोली गयी।

1 Co 2 28/4

gr.4.13

थी।

इस कार्य की तकनीकी बिड दिनांक 08.02.2017 को खोली गयी। परन्तु विभि्न्न कारणों से अभी तक वितीय बिड पर निर्णय नहीं हुआ हैं।

कार्य की तकनीकी बिड दिनांक 08.02.2017 को खोली गयी जिसमें मैसर्स वर्डेश ट्रेड लिंक प्रा. लि. बाड़मेर की बिड Non-Responsive घोषित करके दिनांक 21.04.2017 को वितीय बिड खोली गयी। इसमें एकल बिड मैसर्स इन्जिनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड की थी। एकल बिड में दर रूपये 980 प्रित वर्ग फीट समस्त 7 पैकेजों के लिए प्राप्त हुई। वितिय बिड की स्वीकृति की प्रिक्रिया के दौरान मैसर्स वर्डेश ट्रेड लिंक प्रा. लि. बाड़मेर द्वारा दिनांक 01.05.2017 को प्रथम अपील दायर कर दी गयी। परन्तु प्रथम अपील कार्यकारी समिति द्वारा खारिज कर दी गयी। इसके पश्चात् मैसर्स वर्डेश ट्रेड लिंक प्रा. लि. बाड़मेर द्वारा दिनांक 19.07.2017 को नगरीय विकास विभाग को द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दी गयी। अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास विभाग द्वारा द्वितीय अपील दिनांक 08.01.2018 को खारिज कर दी गयी। इसके पश्चात् कार्य की वितीय बिड के मूल्यांकन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की गयी। इस दौरान यह प्रश्न उठा हैं क्या बिड अवधि के लिहाज से अब भी वैध हैं अथवा नहीं। प्राधिकरण की शक्तियों की अनुसूची के आइटम संख्या 19 के अनुसार प्राधिकरण को 70 दिवस के भीतर बिड को निर्णित करने की शक्तियां प्रदत हैं। इस प्रकरण में 70 दिवसीय, अवधि पार होने के कारण नियम संगत बाधा उत्पन्न हो गयी हैं। त्य्व्य 40 (2) के अनुसार 70 दिवस की अधिकतम अवधि की शिथिलता राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने का प्रावधान हैं।

इस प्रकरण में अब निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना प्रस्तावित हैं-

1.मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं में ग्राम लोरड़ी पण्डित जी एवं ग्राम बड़ली में दिनांक 26.01.2017 से 31 मार्च 2018 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आज दिनांक तक ग्राम लोरड़ी पण्डित जी में कुल आवास 6160 के विरूद्ध 421 आवेदन तथा ग्राम बड़ली में कुल आवास 3152 के विरूद्ध 1061 आवेदन ही ग्राप्त हुये हैं। अपर्याप्त आवेदन प्राप्त होने के कारण लॉटरी सम्पादित नहीं की गयी हैं।

2.मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं यथा ग्राम तनावड़ा प्रथम व द्वितीय चरण, चौखा, लोरड़ी पण्डित जी तथा बड़ली में निविदा में न्युनतम दर 891 प्रति वर्गफीट से रूपये 944 प्रति वर्गफीट दरें स्वीकृत की गई हैं। प्रकरण विशेष में न्युनतम दर दाता द्वारा रूपये 980 प्रति वर्गफीट दर प्रस्तुत की गई हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं में उल्लेखित अपर्याप्त आवेदन तथा पुर्व स्वीकृत दर के साक्षेप प्रकरण विशेष में प्रस्तावित आवास 9880 तथा दर रूपये 980 प्रति वर्गफीट पर विवेचन किया जाना प्रस्तावित हैं।

इस प्रकरण में उल्लेखनीय हैं कि वितिय बिड स्वीकृत कर कार्यादेश जारी करने के लिए 70 दिवस तक प्राधिकरण अधिकृत हैं। 70 दिवस से अधिक अवधि पार निविदा के संबंध में वितिय बिड स्वीकृति राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार हैं।

3. यदि प्राधिकरण के स्तर इस प्रकरण में आगे कार्यवाही की जाकर बिड को स्वीकृत किया जाता हैं तो 70 दिवसीय वैधता अवधि पार होने के कारण राज्य सरकार से शिथिलता प्राप्त करनी होगी। शिथिलता प्राप्त होने पर ही प्राधिकरण की बिड को स्वीकृत करने की शक्तियां बहाल होगी।

प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष आवश्यक विचारणा एवं संकल्प के लिए एतद् द्वारा प्रस्तुत हैं।



अतः विषयगत एजेण्डा अनुसार प्रकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय

प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया प्रस्तुत प्रस्ताव में तथ्यों के प्रकाश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के प्राथमिकता की योजनाएं है। इसलिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली को पालड़ी खिचियान में जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर 9880 E W S o L I G के आवास निर्मित करने के लिये प्रस्तुत की गई दर रूपये 980.00 प्रति वर्ग फीट का अनुमोदन किया जाता है। एवं तकनीकी बिड खोलने की तिथि से 70 दिन से अधिक की अवधि चूंकि व्यतीत हो चुकी है जिसका मुख्य कारेण वडेरा ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा क्रमश प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील किया जाना है। (जो दोनों ही वडेरा ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध निर्णित हो चुकी है।) R.R.P.P नियम 40 (2) के अनुसार तकनीकी बिड खोलने के 70 दिवस के भीतर कार्यादेश न देने पर अधिक अविध के लिए शिथिलता प्रधान करने की शक्तियां राज्य सरकार में निहित है। इसलिए प्रकरण राज्य सरकार को शिथिलता प्राप्ति के लिये भिजवाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

एजेण्डा ८ ::— अध्यात्मक विज्ञान सत्संग केन्द्र जोधपुर को 11 बीधा भूमि खसरा नं.72, व 627 ग्राम चौखा मे रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेन्द्र कुमार ने ग्राम चौखा के खसरा नं. 72 व 627 रकबा 209. 03 बीघा में से 10 बीघा भूमि आवंटन करने हेतु पत्र के साथ प्रपत्र अ प्रस्तुत किया है। प्रपत्र अ में जनकल्यानार्थ 16000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु अंकन किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

- 1. उक्त प्रकरण तत्कालीन यूआईटी / प्राधिकरण में वर्ष 2005 से प्रक्रियाधीन ्है। प्रस्तावित भूमि प्राधिकरण की रामराज नगर योजना का भाग है।
- 2. पंजीका में उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट 17.03.2009 के अनुसार ग्राम चौखा खसरा नं. 72 राजस्व रेकर्ड में नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नं 72 में अध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केन्द्र जोधपुर संस्था के संस्थापक एवम संरक्षक श्री रामलाल सियाग द्वारा पक्की चार दिवारी बनाकर उसमें ध्यान केन्द्र भवन, दिशा ग्रहण स्थल, पानी की ट्यूबवेल, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, पानी का होद व चबूतरा तथा ऊद्यान आदि बना रखे है। भूमि पर संस्था द्वारा 10.5 बीधा भूमि पर कब्जा होना पाया गया है। जो प्राधिकरण कि रामराज नगर योजना के नक्शे में अंकित है।
- 3. वर्ष 2010 में अतिकमी के विरूद्ध जेंडीए की धारा 67 के अंतर्गत प्रकरण संख्या 37/2010 दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। पंजीका की कार्यालय टिप्पणी के पैरा 72 में अंकित विधिक राय के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण एक्ट एवं आवंटन नियम अतिक्रमण की गई जमीन के आवंटन की स्वीकृति प्रदान नहीं करते है। आयुक्त महोदय के अनुमोदन पश्चात इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ-46/आवंटन (पश्चिम)/2013/647 दिनांक 18.03.2013 द्वारा आवेदक संस्था को सूचित किया गया कि आवंटन नियमों के अंतर्गत अतिक्रमीत भूमि का आवंटन नहीं किया जा
- 4. पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी 29 एन के अनुसार उक्त भूमि बेशकीमती है।
- 5. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ-46/आवंटन (पश्चिम)/2013/90 दिनांक 17.05.2013 द्वारा उपशासन सचिव-तृतीय को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करते हुए भूमि आवंटन करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया। नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न पत्रों द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय द्वारा प्रेषित की गई।
- 6. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा रिपोर्ट चाहने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 2488-2490 दिनांक 19. 12.2017 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसके अनुसार पटवारी चौखा की मौकाफर्द

रिपोर्ट दिनांक 19.08.2000 के अनुसार ग्राम चौखा के खसरा नं. 627 में 5 बीघा भूमि पर आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केन्द्र का ध्यान योग हेतु भवन 40 ग 60 फिट पर बना हुआ है। शेष भूमि खाली है संस्थान द्वारा वृक्षारोपण किया हुआ है। खसरा नं. 72 में किसी प्रकार का निर्माण नहीं पाया गया। नायाब तहसीलदार जोधपुर द्वारा वर्ष 2001 में खसरा नं. 627 ग्राम चौखा के संबंध में संस्थान को भूमि राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन नोटिस जारी किया गया था।तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा दिनांक 23.05.2007 को धारा 90, 91 के अंतर्गत संस्थान को नोटिस जारी किया गया था। आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के पत्र दिनांक 29.07.2010 द्वारा सत्संग केन्द्र द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमण को हटाने हेतु एक टीम का गठन किया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 18.12.2017 के अनुसार संस्थान द्वारा खसरा नं. 627 एवं 625 में कब्जा कर भूमि पर निर्माण किया हुआ हैं एवं खसरा नं. 72 एवं 630 के भाग पर चार दीवारी में पौधा रोपण किया हुआ है।

आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग कैन्द्र द्वारा निम्न खसरो में कब्जा किया हुआ है:-

- a) खसरा नं. 625 :- 50 वर्ग गठ्ठा = 242 वर्ग गज
- b) खसरा नं. 630 :- 180 वर्ग गठ्ठा = 871 वर्ग गज
- c) खसरा नं. 627 :- 2016 वर्ग गठ्ठा = 9157.44 वर्ग गज
- d) खसरा नं. 72 :- 1960 वर्ग गठ्ठा = 9486.4 वर्ग गज

कुल = 4,206 वर्ग गठ्ठा = 19756.84 वर्ग गज अर्थात 10 बीघा 10 बिस्वा

खसरा नं. 625 व 630 की भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व मे है। जिस पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा नियमन/आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। खसरा नं. 72 व 627 की भूमि पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की रामराज नगर आवासीय योजना स्थित है। उक्त योजना के सेक्टर 4 में संस्थानिक (Instititutional) आरक्षित भूमि पर संस्थान का कब्जा/अतिक्रमण है। संस्थान द्वारा प्राधिकरण की आवासीय योजना में संस्थानिक आरक्षित भूमि 17177.77 वर्ग गज एवं अन्य भूमि 2579.07 वर्ग गज पर कब्जा एवं निर्माण किया हुआ है।

नगरीय विकास विभाग के पत्र प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 01.01.2018 द्वारा नवीन आवंटन नीति—2015 के अनुसार परिक्षण कर प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया। नवीन आवंटन नीति—2015 में अतिक्रमण के नियमन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है एवं आवंटन नीति के अनुसार बेशकीमती भूमि का आवंटन भी नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

प्रकरण पर नियमों के सम्बंध में एवं मौका स्थिति के क्रम में विचार विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रकरण राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे।

एजेण्डा 9 ::— ई.टी.वी. राजस्थान द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम में स्पोन्सर के रूप में प्राधिकरण द्वारा रूपये 5 लाख की अनुदान राशि का अनुमोदन करने बाबत्।

मण्डण राजस्थान जयपुर द्वारा डॉ. श्री महेन्द्र राठौड़, अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 29.01.2018 (प्राप्त 12.03.2018) को पत्र प्रेशित किया जाकर ष्ट्पेपदह त्रेंजींद.2018 में स्पोन्सरशिप/अनुदान बाबत्" अनुरोध किया गया था।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में रूपये 05 लाख (पांच लाख) की स्वीकृति प्राधिकरण बैठक की प्रत्याशा में प्रदान की गयी थी।

10/2/1 dizario

इस संबंध में सम्बन्धित पत्रावली पर परीक्षण स्वरूप की गयी टिप्पणीयों के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष पत्रावली दिनांक 21.03.2018 को प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुच्छेद संख्या 142—144 में निम्न टिप्पणी का दिनांक 21.03.2018 को निर्णय/अनुमोदन किया गया।

- 1. ऑथोरिटी की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 2. बजट का रिएप्रोप्रियेशन किया जाये।

उक्त स्वीकृति की अनुपालना में दिनांक 22.03.2018 को आयुक्त, निदेशक वित्त, निदेशक अभियांत्रिकी एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा बजट का रिएप्रोप्रिएशन निर्धारित प्रारूप में किया गया।

उपरोक्त आदेशों की पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 56 सपठित धारा 16 (एच) " सांस्कृतिक गतिविधिया के तहत 05 लाख (पांच लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति प्राधिकरण से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी की गयी थी। उक्त राशि का भुगतान मण्ज्टण को व्यय मद 5001–07–2017 सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिता पर विकलित किया गया।

अतः प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ सादर ग्रस्तुत है।

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बाबत्।

एजेण्डा 10 ::— राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अन्तर्गत प्राधिकरण अधिकारियों / कार्मिकों का वेतन नियतन की स्वीकृत

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेंश क्रमांक प. 4(8)नविवि/८/2018 दिनांक 03.04.2018 द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के अधिकारीयों/कर्मचारियों को वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना एफ.15(1)एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अन्तर्गत रेप्सर एक्ट 1999 के तहत पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

उक्त स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन प्रसारित की गई हैं। उक्त के क्रम में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ—21/स्थापन/2018/1012 दिनांक 04.04.2018 जारी कर प्राधिकरण के अधिकारियों/कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

अतः प्रकरण प्राधिकरण बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार पूर्व में जारी स्वीकृति दिनांक 04.04.2018 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जोधपुर

Jefe 2.4.18

विकास प्राधिकरण की सेवा से सेवानिवृत पेंशनर्स को भी नियमानुसार पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जावें।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यावाद समाप्त हुई।

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत हो या इससे अधिक सदस्य कार्यमुक्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत या उसके किसी भाग के गलत तथा / या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का कियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक क्रियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयो पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के निए रखा जायेगा, क्रियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी।

कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण / संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा।)

अध्यक्ष

कमांक / बैठक / 2018 / 3 5 3 - 369

दिनांक :: अपी

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

अतिरिक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर (प्रतिनिधि जो उप सचिव की रेंक से नीचे का न हो, नियुक्त करने हेतु)

महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर 02.

जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर

जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर

- 05. संयुक्त शासन सचिव– तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 06. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
- 07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
- 08. प्रबंध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
- 09. उप आवासन आयुक्त- प्रथम / द्वितीय , राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
- 10. वरिष्ठ नगर नियोजक / उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
- 11. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर सूचनार्थ
- 12. निदेशक—अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण,
- उपायुक्त पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, / उप सचिव, / प्रभारी अधिकारी आवंटन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- अधीक्षण अभियन्ता—प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जोधपुर विकास विकास प्राधिकरण, जोधपुर,
- 15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 16. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

(अरूण पुरोहित)

सचिव

श्री (का) महेन्द्र सिंह राठौड़, माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को प्रातः 11.00 आयोजित प्राधिकरण की बैठक ने उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर 1.

श्री सी.एल. गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर

श्री संजीव माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर

श्री जयसिंह चौधरी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,

शी नरेन्द्र बोहरा, उप आवासन आयुक्त-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर 5.

- श्री किशनसिंह चौधरी, उप आवासन आयुक्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
- 7. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर 8.
- श्री पी.आर. बेनीवाल, निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधंपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर 4.